संख्या- 1/2024/77-2099/57/2023/002-9

प्रेषक,

अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्ष 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 103-03-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में अनुपूरक बजट प्राविधान की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी0एस0-142/बजट, दिनांक 09-11-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्ष-4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीने तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 13,00,00,000/- (रूपये तेरह करोड़ मात्र) की नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निम्न नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) उक्त बजट प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय मुद्रणालयों में मशीन क्रय किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वियन के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 07-12-2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्रावधानित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

(5) प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने की पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत संबंधित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(6) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(7) निर्वतन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खातों में नहीं रखा जायेगा।

(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 13,00,00,000/- (रूपये तेरह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 008 लेखाशीर्षक 4058001030300 सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव।

संख्या यथोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in